

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 6(2)गृह-1/2022

जयपुर, दिनांक: 06 JUL 2022

आदेश

पुलिस व्यवस्था के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के क्रम में पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र में नई और उभरती प्रौद्योगिकी को अपनाने, इसके प्रसार और उपयोग को आसान बनाने के लिए इसके मानकीकरण एवं भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकियों सम्बन्धी आवश्यकता का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 11034/14/2021/IS-IV दिनांक 30.04.2022 के क्रम में माननीय राज्यमंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में निम्नानुसार टास्क फोर्स का गठन किया जाता है-

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग                            | - सदस्य      |
| 2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग                             | - सदस्य      |
| 3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग       | - सदस्य      |
| 4. शासन सचिव, गृह विभाग (I)                                  | - सदस्य सचिव |
| 5. शासन सचिव, गृह विभाग (II)                                 | - सदस्य      |
| 6. शासन सचिव, गृह(विधि) विभाग                                | - सदस्य      |
| 7. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान                                 | - सदस्य      |
| 8. महानिदेशक, पुलिस, इन्टेलीजेंस, राजस्थान                   | - सदस्य      |
| 9. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस, राजस्थान                 | - सदस्य      |
| 10. अति. महानिदेशक, पुलिस, तकनीकी एवं दूरसंचार/एससीआरबी      | - सदस्य      |
| 11. अति. महानिदेशक, पुलिस, पुलिस आधुनीकरण, आयोजना एवं कल्याण | - सदस्य      |

उपरोक्त टास्क फोर्स का प्रशासनिक विभाग गृह(ग्रुप-1) विभाग होगा तथा टास्क फोर्स के कार्य गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संकल्प 11034/14/2021/IS-IV दिनांक 26.04.2022 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार होंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(अभय कुमार)

अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
6. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
7. शासन सचिव, गृह विभाग (I)
8. शासन सचिव, गृह विभाग (II)
9. शासन सचिव, गृह(विधि) विभाग
10. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान जयपुर।
11. महानिदेशक, पुलिस, इन्टेलीजेंस, राजस्थान जयपुर।
12. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस, राजस्थान जयपुर।
13. अति. महानिदेशक, पुलिस, तकनीकी एवं दूरसंचार/एससीआरबी, राजस्थान, जयपुर।
14. अति. महानिदेशक, पुलिस, पुलिस आधुनीकरण, आयोजना एवं कल्याण, राजस्थान, जयपुर।
15. विशिष्ट शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस